

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-38/20 (2020/00067) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बदामदेवी पिता कन्हैयालाल बाफना निवासी झड़ौल तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मनीषा पत्नि सुनील बाफना निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हेमा पिता हीरा जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जीतु पिता हीरा जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशन पिता हीरा जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चुन्नीबाई पत्नि छगन राव निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजी पत्नि रायमल गुर्जर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बंशीलाल पिता भुरा जीनगर निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. ऐजी पत्नि केशु गाडरी निवासी केनपुरिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
8. रामचन्द्र पिता बालुराम राव निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मांगु पिता अम्बालाल गाडरी निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जगरूप पिता रामा गाडरी निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. जवाहरमल पिता बादु जीनगर निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सायरबाई पत्नि उमरावसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. कन्हैयालाल पिता भरतसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक 18.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2100 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 2103 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 2104 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 2110 रकबा 1.31 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 3.51 है0 भूमि खाता संख्या 413 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.02.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.05.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 13 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2100 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 2103 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 2104 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 2110 रकबा 1.31 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 3.51 है0 भूमि खाता संख्या 413 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकवे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक रायपुर जिला न्यायालय अधिकारी
रायपुर (भीलवाडा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—38/20 (2020/00067) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. बदामदेवी पिता कन्हैयालाल बाफना निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मनीषा पत्नि सुनील बाफना निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हेमा पिता हीरा जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जीतु पिता हीरा जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशन पिता हीरा जाट निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चुन्नीबाई पत्नि छगन राव निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजी पत्नि रायमल गुर्जर निवासी डागड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बंशीलाल पिता भुरा जीनगर निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. ऐजी पत्नि केशु गाडरी निवासी केनपुरिया तहसील आमेट जिला राजसंमद
8. रामचन्द्र पिता बालुराम राव निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मांगु पिता अम्बालाल गाडरी निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जगरूप पिता रामा गाडरी निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. जवाहरमल पिता बादु जीनगर निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सायरबाई पत्नि उमरावसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. कन्हैयालाल पिता भरतसिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 18.08.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2100 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 2103 रकबा 0.70 है0, आराजी संख्या 2104 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 2110 रकबा 1.31 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 3.51 है0 भूमि खाता संख्या 413 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 18.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

